<u>न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–04/ विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), गोण्डा।</u>

<u>रितेश कुमार वर्मा बनाम इमरानुद्दीन उर्फ बब्लू आदि</u>

<u>अन्तिम रिपोर्ट सं0–108/2026</u>

मुकदमा अपराध सं0–409/2023,
धारा–138 भारतीय विद्युत अधिनियम,
थाना–एण्टीपावर थेफ्ट, जिला–गोण्डा

<u>दिनांकः–14.03.2026</u>

आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पत्रावली मुकदमा अपराध सं0–409/2023, अन्तर्गत धारा–138 भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना–एण्टीपावर थेफ्ट, जिला–गोण्डा में विवेचक द्वारा प्रेषित की गयी अंतिम रिपोर्ट के निस्तारण हेतु पेश हुई।

वादी मुकदमा रितेश कुमार वर्मा, अवर अभियन्ता, 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, खोरहंसा, गोण्डा को न्यायालय द्वारा प्रेषित सम्मन पर उनके द्वारा न्यायालय उपस्थित होकर बयान देते हुए अंतिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार कर मुकदमा उपरोक्त समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा रितेश कुमार वर्मा, अवर अभियन्ता टीम द्वारा चेक किये जाने पर पाया गया कि अभियुक्तगण इमरानुद्दीन उर्फ बब्लू, बाबू व गुड्डू पुत्रगण काजी कैजुद्दीन द्वारा बिना बकाया बिल जमा किये, पूर्व में विच्छेदित केबिल को बिना अनुमति के विच्छेदन संयोजन को जोड़कर विद्युत का अवैध रूप से उपयोग करते हुए पाये गये, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये अभियोग के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। केस डायरी में संलग्न समन शुल्क व राजस्व शुल्क रसीदों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा विद्युत कार्यालय में अपना समन शुल्क व राजस्व निर्धारण जमा करा दिया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया गया है। अतः आपत्ति के अभाव में उपरोक्त मामले के तथ्यों के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट दिनांकित 19.01.2026 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध सं0–409/2023, अन्तर्गत धारा–138 भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना–एण्टीपावर थेफ्ट, जिला–गोण्डा में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सं0–108/2026 **स्वीकार** की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(दानिश हसनैन)
J.O. Code UP 2727
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–04/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), गोण्डा।

दिनांक–14.03.2026

Digitally signed by DANISH HASNAIN
Date: 2026.03.18 14:49:31 AEST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court